

आदेश-पत्रक  
( देये अभिलेख हस्तक, १९४९ का विषय १२१ )

आदेश पत्रक - ता०..... रो..... तक  
जिला....., सं०....., राष्ट्र १९.....  
केस का प्रकार.....

आदेश की दस्तावेज़ का नाम तारीख १५/०७/२०२३	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई <sup>2</sup> कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
--	--------------------------------	---

## व्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी पुनरीक्षणवाद संख्या-२४/२०२०

श्रीमती कविता रानी.....पुनरीक्षणकर्ता

-बनाम-

राज्य एवं अन्य.....रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षणवाद श्रीमती कविता रानी, पति-देवकृष्ण कुमार, सा०-श्रीनगर, वार्ड नं०-०५, पंचायत-रामनगर महेश, प्रखंड-कुमारखण्ड, जिला-मधेपुरा के द्वारा व्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के द्वारा आँगनबाड़ी वाद सं०-७६/२०१८ में दिनांक ०४.०५.२०२० को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसके द्वारा वादी के सेविका के पद पर किये गये चयन को निरस्त कर दिया गया।

वादी का मूल रूप से कहना है कि वर्ष २०१३-१४ में समाहरणालय, मधेपुरा के जिला प्रोग्राम शाखा द्वारा कुमारखण्ड परियोजनान्तर्गत ग्राम पंचायत-रामनगर महेश के वार्ड नं०-०५ ग्राम-श्रीनगर स्थित आँगनबाड़ी केव्वल सं०-२०६ के सेविका पद पर आँगनबाड़ी सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका, २०११ के आलोक में चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। मैंपिंग पंजी के अनुसार उक्त केव्वल के पोषक क्षेत्र का वर्ग बाहुल्य पिछ़ा वर्ग था। वादी सहित कुल ०४ (चार) अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन समर्पित किया गया। तत्पश्चात बाल विकास परियोजना कार्यालय, कुमारखण्ड द्वारा मेधा सूची का प्रकाशन किया गया, जिसके अनुसार वादी ७८.१४% मेधा अंक के साथ प्रथम स्थान पर तथा विपक्षी सं०-०४ पूनम कुमारी ६५% अंक के साथ द्वितीय स्थान पर थी। तत्पश्चात दिनांक ३१.०१.२०१५ को आमसभा हुई, जिसमें उपस्थित लोगों के द्वारा चयन मार्गदर्शिका, २०११ के प्रतिकूल पोषक क्षेत्र के बहुसंख्यक जाति से चयन का दबाव बनाये जाने के कारण आमसभा स्थगित कर दी गई। पुनः जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के ज्ञापांक ६०९ दिनांक १५.०४.२०१५ के निर्देशानुसार २९.०४.२०१५ को वार्ड नं०-०५ के वार्ड सदस्य प्रदीप यादव की अध्यक्षता में चयन समिति के सचिव बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुमारखण्ड एवं अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आमसभा

*Dan'*

में कुल 05 अभ्यर्थियों में मात्र 02 अभ्यर्थी उपस्थित हुई। आमसभा में मेधा क्रमांक-01 की अभ्यर्थी कविता रानी जाति “तेली” तथा मेधा क्रमांक-02 की अभ्यर्थी पूनम कुमारी जाति “यादव” दोनों के पिछङ्गी जाति प्रमाण-पत्र सहित अन्य मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच की गई तथा सही पाया गया। अन्तिम मेधा सूची के क्रमांक-01 की अभ्यर्थी कविता रानी चयन हेतु सभी अर्हताओं को पूरा कर रही थी, किन्तु आमसभा में मेधा क्रमांक-02 की अभ्यर्थी पूनम कुमारी के चयन का दबाव बनाते हुए प्रस्ताव रखा गया, जिसे नियमानुकूल नहीं होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया तथा आमसभा में मौजूद यादव जाति के लोगों के दबाव में क्रमांक-01 की अभ्यर्थी कविता रानी को तत्काल चयन-पत्र निर्गत नहीं किया गया। आमसभा में फाईनल मेधा सूची पैनल बनाया गया, जो आमसभा की तिथि से तीन वर्ष के लिए मान्य था। चयन मार्गदर्शिका, 2011 के कंडिका-8.14 के मुताबिक इसी पैनल से चयन करना है, किन्तु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुमारखण्ड के द्वारा आमसभा के निर्णय के उपरान्त अपीलार्थी/आवेदिका कविता रानी को चयन-पत्र निर्गत करने में टाल-मटोल किया जाने लगा तब लाचार होकर अपीलार्थी के द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के जनता दरबार में शिकायत आवेदन दिया गया। तदालोक में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के शिकायत वाद सं0-303 दिनांक 28.01.2016 से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुमारखण्ड को अविलम्ब कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुमारखण्ड के द्वारा आमसभा पंजी में विस्तृत रूप से उल्लेख करते हुए दिनांक 15.02.2016 को वादी को चयन पत्र निर्गत किया गया। तत्पश्चात वादी के द्वारा प्रशिक्षणोपरान्त केव्वल का संचालन यही उंच सुचारू ढंग से किया जा रहा है। विपक्षी संख्या-04 पूनम कुमारी के द्वारा मार्गदर्शिका के वर्णित प्रावधान के विपरीत जाकर व दुर्भावना से ग्रसित होकर वादी के चयन के लगभग 02 (दो) वर्ष बीत जाने के बाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के व्यायालय में दिनांक 01.11.2018 को वाद सं0-76/2018 दाखिल की गई। जिसमें वादी को भी सूचना दी गई और उन्होंने अपना पक्ष रखा। किन्तु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा वाद दाखिल होने के लगभग 02 वर्ष बाद दिनांक 24.03.2020 को कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन की अवधि में व्यायिक कार्यवाही स्थगित रहने के दौरान वादी के चयन को रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश में प्रावधान किया गया कि तेली जाति को बिहार सरकार के संकल्प 6137 दिनांक 22.04.2015 के द्वारा पिछड़े वर्ग की सूची के क्रमांक-13 से विलोपित कर अत्यंत पिछङ्गी वर्ग की सूची के क्रमांक-126 पर शामिल किये जाने के कारण वादी का चयन नियम संगत नहीं है। वादी का कहना है कि निम्न व्यायालय द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि कविता रानी की जाति तेली है तथा आवेदन के

गांग

समय पिछ़ा वर्ग के अन्तर्गत आती थी, बावजूद इसके अपीलार्थी के चयन को रद्द करते हुए विपक्षी सं0-04 पूनम कुमारी को चयन-पत्र निर्गत करने का आदेश दिनांक 04.05.2020 को पारित किया गया। वादी का कहना है कि उनके चयन के विरुद्ध दाखिल घाद सं0-76/2018 की सुनवाई के दौरान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के पत्रांक 710 दिनांक 25.05.2018 से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुमारखण्ड से जाँच प्रतिवेदन की मांग किये जाने पर उनके पत्रांक 360 दिनांक 13.07.2018 से प्रतिवेदित किया गया कि कविता रानी का चयन सभी अर्हताओं को सही पाकर आमसभा में तैयार पैनल के अनुसार शीर्ष पर रहने तथा आवेदन के साथ संलग्न पिछ़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के निदेशानुसार किया गया तथा उन्हें चयन पत्र दिया गया, किन्तु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के द्वारा मनमाने ढंग से वादी कविता रानी को चयनमुक्त कर दिया गया। वादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि किसी भी चयन / नियोजन /नियुक्ति का आधार विज्ञापन की तिथि होती है। विज्ञापन वर्ष 2013 में प्रकाशित हुआ, इस समय तेली जाति पिछ़ा वर्ग में अन्तर्गत थी। तदनुसार वादी के द्वारा पिछ़ा बाहुल्य पोषक क्षेत्र स्थित केन्द्र के लिए पिछ़ा वर्ग का अपना जाति प्रमाण-पत्र संलग्न कर आवेदन किया गया। आदेश पारित करते हुए यह वर्णित किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पट्टना के संकल्प संख्या-6137 दिनांक 22.04.2015 के द्वारा तेली जाति को अत्यंत पिछ़ा वर्ग में शामिल कर लिया गया जबकि गजट प्रकाशन 10.09.2015 का है। वादी का कहना है कि इससे पूर्व ही अपीलार्थी का चयन किया गया इसलिए वादी को अत्यन्त पिछ़ा वर्ग का मानकर चयन रद्द करना सर्वथा नियम एवं कानून के विरुद्ध है व उक्त आदेश कानून गलत है। उक्त तथ्यों के आलोक में वादी के द्वारा निम्न व्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी को उक्त केन्द्र के सेविका के पद पर चयन किये जाने संबंधी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुमारखण्ड के आदेश को सम्पुष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0-04 पूनम कुमारी की ओर से दाखिल लिखित जबाब तथा उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बहस में भाग लेते हुए उनका कहना है कि समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-32 दिनांक 25.01.2001 में सेविका पद पर चयन पंचायत की आमसभा में किये जाने का प्रावधान है। वास्तविक वस्तुस्थिति आमसभा की तिथि को वैध मानी जाएगी। सिर्फ उम्र सीमा का विर्धारण विज्ञापन की तिथि के अनुसार किया जाएगा। मार्गदर्शिका, 2011 की कंडिका-8.14 एवं 8.15 में भी स्पष्ट है कि सेविका / सहायिका का चयन वार्ड की आमसभा में होगा। विपक्षी का कहना है कि वादी के वाद-पत्र के पारा-2 में यह स्वीकार किया गया है कि कविता रानी का चयन

आमसभा में नहीं किया गया। आमसभा दिनांक 29.04.2015 के प्रस्ताव में निर्णय लिया कि पूनम कुमारी, पति-धर्मेन्द्र कुमार चयन मार्गदर्शिका, 2011 के सभी कंडिका को पूरा करते हैं एवं सेविका पद के योग्य हैं। आमसभा पंजी के पृष्ठ सं0-10 के तीसरे पारा में विपक्षी सं0-04 के चयन का प्रस्ताव रखा गया। उनका कहना है कि कभी भी वादी कविता रानी, पति-देवकृष्ण कुमार के सेविका पद पर चयन का प्रस्ताव आमसभा में नहीं लाया गया। विपक्षी सं0-04 का यह भी कहना है कि जाँचोपरान्त कृत कार्यवाई/लिये गये निर्णय से वार्ड की आमसभा को अवगत करायी जाय, किन्तु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुमारखण्ड के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। उनके द्वारा बिना आमसभा बुलाये, बिना वार्ड की आमसभा को जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश से अवगत कराये मनमाने ढंग से कविता रानी को चयन-पत्र निर्गत कर दिया गया, जो विधि विरुद्ध है। जिसके विरुद्ध उनके द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के न्यायालय में आँगनबाड़ी वाद सं0-76/2018 दायर किया गया। विपक्षी का कहना है कि वादी “तेली” जाति की है तथा पोषक क्षेत्र में उक्त जाति का मात्र 15 परिवार निवास करता है, जो बिहार सरकार के संकल्प सं0-6137 दिनांक 22.04.2015 के अनुसार अत्यन्त सरकार के लगभग 500 परिवार पोषक क्षेत्र में निवास करते हैं, जो उक्त जाति के लगभग 500 परिवार पोषक क्षेत्र भी पिछ़ा वर्ग बाहुल्य घोषित था। पिछ़ा वर्ग की कोटि में है। पोषक क्षेत्र भी पिछ़ा वर्ग बाहुल्य घोषित था। उनका कहना है कि तदालोक में ही निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के द्वारा उभय पक्षों के सुनने के उपरान्त विधिसम्मत आदेश पारित किया गया जो यथावत रखने योग्य है। विपक्षी का कहना है कि जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के जन शिकायत आवेदन सं0-303 दिनांक 28.01.2016 में कहीं स्पष्ट नहीं है कि कविता रानी (वादी) को चयन-पत्र निर्गत 31.01.2015 को आमसभा हुई ही नहीं बल्कि प्रधान सहायक एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुमारखण्ड ने साजिश के तहत कार्यालय में बुलाकर आमसभा पंजी में विपक्षी का हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया। उनका कहना है कि यदि आमसभा होती तो मार्गदर्शिका, 2011 के कंडिका-3(i) के अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / जनजाति के अधिकारी का भी हस्ताक्षर पंजी पर रहता है, जो नहीं है। तदालोक में विपक्षी सं0-04 के द्वारा वादी के आवेदन को खारिज करते हुए निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के आदेश दिनांक 04.05.2020 को सम्पुष्ट करने तथा उस पर लगाये गये स्थगन आदेश को हटाने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष का पक्ष सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त

Chau.

साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोपरान्त परिलक्षित होता है कि प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र की सेविका चयन हेतु विज्ञापन में पोषक क्षेत्र का वर्ग बाहुल्य पिछ़ा वर्ग प्रकाशित किया गया तथा वादी के द्वारा तेली जाति से संबंधित पिछ़ा वर्ग का अपना जाति प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया। तदनुसार सेविका/सहायिका मार्गदर्शिका, 2011 के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुमारखण्ड के द्वारा मेधा सूची में प्रथम स्थान के अभ्यर्थी कविता रानी का सेविका के पद पर चयन किया जाना नियमानुसार सही है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के संकल्प संख्या 6137 दिनांक 22.04.2015 के द्वारा तेली जाति को पिछ़ा वर्ग से विलोपित करते हुए अत्यंत पिछ़ा वर्ग में शामिल किया गया। अधिसूचना निर्गत तिथि से पूर्व विज्ञापित पद पर इसे लागू किया जाना तथा आवेदिका को उक्त पद हेतु चयन से वंचित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तदालोक में इस पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार करते हुए निम्न व्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश को खंडित किया जाता है तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुमारखण्ड के द्वारा वादगत आंगनबाड़ी केन्द्र की सेविका के पद पर श्री मति कविता रानी, पति- देवकृष्ण कुमार के चयन को सम्पुष्ट किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न व्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

प्रमंडलीय आयुक्त  
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त  
कोशी प्रमंडल, सहरसा।